संख्या-2027/XII/2011/86(10)/2005 टी0सी0-।।।

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

पंचायती राज अनुभाग देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

विषयः- क्षेत्र पंचायत विकास निधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 489/XII/05/86(10)/2005 दिनांक 13 जून 2005 एवं शासनादेश संख्या 895/XII/05/86(10)/2005 दिनांक 23 नवम्बर, 2010 द्वारा गठित क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत प्रति विकास खण्ड रुपये 30 लाख लाख प्रति क्षेत्र पंचायत के लिये "क्षेत्र पंचायत विकास निधि" का प्राविधान किया गया है। जिसे प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर की जा रही वृद्धि की माँग के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त धनराशि रू. 5.00 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत प्रतिवर्ष बढ़ाये जाने पर निर्णय लिया गया है।

2- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों में विकास कार्यो हेतु अब प्रति वर्ष रू. 35 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत के लिये " क्षेत्र पंचायत निधि" का प्राविधान किया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-489/XII/05/86(10)/2005 दिनांक 13 जून 2005 एवं शासनादेश संख्या-895/XII/05/86(10)/2005 दिनांक 23 नवम्बर, 2010 में विहित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4-. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-275(p)/XXVII(4)/2011,दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्राप्त निर्देशों अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(एन0एस0नेगी)
सचिव 22/12/11

संख्या 2027 (1)/XII/10/86(10)/2005 टी0सी0-। तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2.आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
4 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड देहरादून ।
6. समस्त खंड विकास अधिकारी,उत्तराखण्ड/समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-4/ गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
10 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय देहरादून ।
11. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
अपर सचिव ।